

# विधवा विवाह

राय बहादुर लालकचंद जी. आच. डं.

कारभारी इन्दौर स्टेट क्लब

सन १९०८ ईसवी.

इन्दौर.



श्रीमणेशायनमः

## विधवाविवाह.

विधवाविवाह यह एक ऐसा मामला है कि जिसपर अर्थात्क प्रबुद्ध लोगोंके मन यथा योग्य विचार अनुरूप ठेरे नहीं. कई एक लोग विधवाविवाहको धर्मशास्त्रके विरुद्ध समझते है और कई उसके अनुसार. इसलिये इस पुस्तकमें इस विषयकी विवेचना की जाती है.

हर एक वाक्की चुणई भलाई स्थापन करनेके लिये प्रायः चार तरहकी जांच काफी होतीहै. ( १ ) येकि अपने वेदोंमें क्या लिखा है. ( २ ) कि पहिले जमानेके ऋषी और मुनी क्या फरमाने है. ( ३ ) यहकि सांप्रत कालके ऋषी और मुनी अर्थात् विद्वान और बुद्धिमान लोग क्या कहते है. और ( ४ ) यहकि दुसरे मजहबके लोग बहु मनमें क्या मानते है. अब चारों तरहकी कसोटीपर इस विधवा विवाहके विषयको जरा लगाकर देखिये.

अबल अपने वेदोंमें क्या लिखाहै? सबसे पहिले यह विचार करना ठीक होगा कि विवाह ही क्यों किया जाता है? केवल संसारवश इच्छियां होनेसे या कोई धर्मशास्त्रकी आज्ञा पालन करनेके लिये. इसके उत्तरमें मनुस्मृतीके अध्याय १, श्लोक १० को देखिये.

॥ श्लोक ॥

प्रजानार्थं स्त्रियः मृष्टाः संतानार्थं च मानवाः  
तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदिनः ॥

कि जिसमें यह लिखा है कि बंधे देनके वास्ते स्त्रियोंको बनाया गया है और बच्चा पैदा करानेके लिये पुरुषोंको। इर्मा-वास्ते साधारण गीतोंमें वेदमें कई काम पत्नीके साथ करना कहे गये हैं, जैसे अग्नीहोत्र जो पत्नीके बिना ही नहीं सकता, इसके सिवा धृति और स्मृतिमें यह भी फरमाया है कि पुरुषके स्निग्ध पैदा होते ही ३ तरह के कर्ज स्वयं ही जाते हैं उनको देवऋण ( देवताओंका कर्ज ) ऋषीऋण ( ऋषी लोगोंका कर्ज ) और पितृऋण ( पितरोंका कर्ज ) कहते हैं, देवताओंका कर्ज यज्ञ करनेसे और ऋषी लोगोंका कर्ज विद्या पढ़नेसे और पितरोंका कर्ज विवाह करके पुत्र पैदा करनेसे श्रादा जाता है, और यह भी लिखा है कि उस नर्कमें कि जिसका पुननाम है तारने वाले को पुत्र कहते हैं, गीताजी के पहिले अध्याय में लिखा है,

**पतन्ति पितरो ज्येषां लुप्तपिंडोदकाक्रियाः ।**

जिन पितरोंको पिंड और पानी मिलना बंद हो गया है वो अपने स्थान से गिर जाते हैं, और वंशप्रज्ञाने अपनी स्मृति अध्याय १७ में लिखा है,

**अनन्ताः पुत्रिणां लोकाः नापुत्रस्य लोको  
ऽस्तीति श्रूयते ।**

“पुत्रवाले मनुष्योंको स्वर्ग हमेशाके लिये ही मिलता है और बगैर लड़के वालेको स्वर्ग नहीं मिलता है” इसमें यह मालूम हुआ कि सनार वगैरे उद्विग्न होनेके कारणसे ही नहीं, बल्कि धर्म शान्त्रकी आज्ञा पालन करनेके लिये हर एक हिंदू धर्म वालेको विवाह करना उचित है, जबके पितरोंके कर्जमें बिना पुत्र पैदा हुए आदमी मुक्त नहीं हो सक्ता और जबके

बिना पत्नीके मौजूद हुए यज्ञ नहीं हो सकता. तो यह बात अवश्य ठेरा की विवाहके अनंतर और पुत्र होनेसे पहिले जो किसी स्त्री पुरुषके जोड़ेमेंसे कोई एक मर जाय तो जो बाकी बचे वो अपना शादी करके फिर जोड़ा मिलाय और पुत्र पैदा करके पित्राके कर्जसे साफ हो और यज्ञ इत्यादि जो देवताके धर्म है उनका भी अनुसंधान करे. अब जो कोई यह शंका ले कि पुरुष तो दुसरी बार लग्न कर सकता है परंतु स्त्री नहीं कर सकता तो यह बड़ अन्यायकी बात हो जायगी. और केवल स्वार्थ अर्थात् अपने मतलबकी बात पाई जायगी. हमारे प्राचीन व पूज्य ऋषी लोग एसी हलकी तद्वियतके नहींथे कि जो एसी बात कहने. दैविये वैशंपायन ऋषीका वचनहै कि:-

पुरुषाणामिव स्त्रीणां विवाहा बहवो मनाः ।  
भर्तृनाशं पुन स्त्रीणां पुंसां पत्निलये तथा ॥

“ मर्दोंकी तरह स्त्रियोंकीभी बहुतसे विवाह हो सक्ते हैं जैसे स्त्री के मरने पर पुरुष का दुसरा लग्न होनाहै वैसेही पति के देहान्त होने पर स्त्री का भी विवाह फिर हो सकता है. ” इस से यह सिद्ध हुवा कि स्त्री और पुरुषोंके हक विवाह के विषय में समान है. क्योंकि संतान दोनों के माले बिना पैदा नहीं हो सकती.

अब यह देखना चाहिये के वेदमें के जो हिंदूधर्मका मूलसे बड़ा आधार है. इस संबंध में क्या लिखा है. इस विषयपर बहुतसे प्रमाण दीये जानेसे यह पुस्तक बहान बड़ी होजायगी. इस लिये थोड़ेसेही प्रमाण नीचे लिखे जातेहैं.

(४)

अथर्व वेदके कांड ९. प्रपाठक २० अनुवाक ३ और मंत्र २७ में ये लिखा है.

या पुत्रं पतिं वित्वा अथान्यं विन्दतेह परम  
पचादन च तावजं ददातो न वियोषितः ॥

अर्थ. " जो स्त्री पहिले पतिके मरनेके पीछे दूसरे विवाह करे तो, अज पंचपौदन यज्ञ करनेसे दोनोंका विच्छे-  
हा नहीं होगा ", इस मंत्रमें पायागया के अथर्ववेदमें स्त्रीकी दूसरी दफे जार्ही हानिकार्ही सिर्फ बयान नहीं है बल्के कौसी तन्हेंका यज्ञ करने से फिर तीसरी दफे विवाह करनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी यह भी बताया है.

ऋग्वेदके ऋचा ४१ सूत्र ८१ मंत्र २० में ऐसा लिखा है के:—

सोमोऽददद्गंधर्वाय गंधर्वोऽददग्रथे रथिच  
पुत्रांश्चादादग्निर्मह्यमथोऽमां ॥

इसके उपर श्रीमन् सायनाचार्यजीने अपने भाष्यमें ऐसा लिखा है के:—

सोमो गंधर्वाय प्रथमं अददत् प्रदात् गंधर्वोऽग्रथे  
प्रदात् । अथो अपिच अग्निः इमां कन्यां रथि  
धनं पुत्रांश्च मह्यं अदात् ॥

इसका अर्थ यह है के, " इस रथि कन्याको चंद्रमाने पहिले गंधर्वको दीया. और गंधर्वने अग्नीको दीया. और उसके बाद अग्निने ये रथिकन्या धन और पुत्रोंको मुझे दीया ".

सामवेद मंत्र ब्राह्मण ७ पृ० १० में इस तंत्रमें लिखा है के.

सोमोऽदददंभवाय गंधर्वाऽदददग्रये ।

रयिञ्च पुत्रांश्चादादग्निर्मत्स्यमथो इमां ॥

इसका अर्थ यह हैके " चंद्रमाले दिया गंधर्वको और गंधर्वने दिया अग्निको. उसके अनंतर रयि कन्याको और पुत्रोंको अग्निने सुसजा दिया.

अथर्व वेद १४१११, ३०८ में एसा लिखा है के.

सोमस्य जाया प्रथमं गंधर्व स्तुऽपरः पतिः ।

नृतियो अग्निष्टे पति स्तुरीयमेत मनुष्यजाः ॥ ३॥

सोमो ददद् इतीय गंधर्वा दददग्रये रयिञ्च

पुत्रांश्चा ददग्निर्मत्स्य मथोऽइमां ॥ ४ ॥

अर्थ " तू पति चंद्रगंधर्वी स्त्री था. पीछे तेरा पति गंधर्व हुआ तबना अग्नि हुआ और चाश्चा ते । मनुष्यकी ओलाव हुआ. "

यजुर्वेद तैत्तिरीय आरण्यक प्रपाठक ६ अनुयाक १ श्लोक १४ में ये परमाथा है के.

उदीर्ष्व नाय्याभि जीवलोक मिना सुमेत

मुपशेषण हि । हस्त ग्रासस्य दिधिषोस्त्वमे

नत्पन्त्युर्जनिन्दनानि मन्वभूव ॥

" ये स्त्री तू इस मंत्र हुए पतीक साथ लेठ रहीहे ऊठ. और जीते हुए मनुष्योंके भी हुके आगे जा. और किसी विधवाका हात पकड़नेवाले और पुनरविवाहकी इच्छा करनेवाले पतीकी स्त्री हो ये मंत्र तुम्हरे वेदोमेंभी और आश्वलायन गृह्य सूत्र (४१११०७) और बोधायनमेंभी पाया जाता है.

यजुर्वेदकी तैत्तिरीय संहिता अष्टक ६ अध्याय ६ प्रपाठक ५ अनुयाक ३ में लिखा है कि.

यद् कस्मिन्न थृपेके रशने परिव्ययति तस्मा-  
देको द्वेजाये विन्दत । यन्नेकां रशानां द्वयोः यु-  
पयोः परिव्ययति तस्मान्नेका द्वौपती विन्दत ॥

“ जैसे एक यज्ञके स्तंभमें दो रस्मियाँ बाँधी जा सकती हैं, इसी तरहसे एक पुरुष दो स्त्रियोंसे विवाह कर सकता है, और जैसे एक रस्मा यज्ञके दो स्थानों में नहीं बाँधी सकती, इसी तरहसे एक स्त्रीके दो पती नहीं रह सकते हैं.” इसमें जो शब्द “विन्दत” आया है वो वर्तमान कालके वास्ते होता है, अर्थात् जैसे एकही समयमें एक रस्मी दो यज्ञके स्तंभमें नहीं बाँधी सकती, इसी तरह एकही कालमें एक स्त्रीके दो पती नहीं रह सकते हैं, इस मंत्रकी मन्त्रार्थसे पाई जाती है कि एकही समयमें दो स्त्रियाँ नहीं करना परंतु एक जाता रहता; दूसरा कालमें दर्जन है और वेदमें यह भी दर्ज है.

“ नैकस्या बहवः सह पतयः ”

तैत्तिरीय ब्राह्मण प. ३ ख. २०

इसके भावने यह है कि एक स्त्रीके कई पती, एक साथ नहीं हो सकते हैं, यहाँपर एक साथके शब्दसे साफ जाहिर है कि पतीके मरने या अलहदा होनेके अनन्तर दूसरा पती हासकता है.

अथर्व वेद ३-२०-९, के मंत्र २८ में ये लिखा है कि

समान लोको भवति, पुनर्भुवा परः पति.

अर्थ -दुसरेदके विवाह करने वाली स्त्रीके दुसरे पतीकी समान गति होती है, अर्थात् परलोककी गतिमें कुछ फरक नहीं होता.

इन सब प्रमाणोंमें सिद्ध हुआ कि चारोंवेदों में विधवा विवाहके लिये पूर्ण अनुमोदन है.

(२) कि पहिले जमाने के ऋषी और मुनी क्या फरमाते हैं.

प्राचीन कालमें यद्यत्तमें ऋषी और मुनी हांगये हैं परन्तु उनमें मरुजी और यादवगणके स्मियाय. २८ पंसे द्रुवे हे के जिनके हुकुम स्मृतीयों के नाममें प्रसिद्ध हैं और इस समय परमां यो स्मृतियः प्रसिद्ध हैं और इस समय तक यो स्मृतियां मौजूद हैं. उनमेंके थोड़ेमें प्रमाण नीचे लिख जातहै.

परमेश्वर स्मृति.

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ ।  
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥

“ इसका अर्थ ये है कि. जब पती मर्या जाय या मर जाय या मर्यासा हो जाय या नामदे पाया जाय या पतित हो जाय तो पत्नी पांच आकतोंमें स्वर्कालिये दूसरा पती होना चाहिये ”.

यादवचक्रय स्मृतिमें लिखाहै कि.

॥ अक्षतान् क्षतार्चैव पुनर्भूः संस्कृतापुनः ॥

अर्थ—जो स्त्री पतीके पास जा चुकीहो या न जा चुकीहो उसका संस्कार फिर होना उस नारीको पुनर्भूः कहते हैं.

नारद स्मृतिके श्लोक ५८।१५।१०० में लिखा है.

अष्टौ वर्षाण्युदीक्षेन ब्राह्मणी प्रोपितं पतिम् ।  
अप्रमुता तु चत्वारि परतोऽन्यं समाश्रयेत् ॥

क्षत्रीया षट् समाप्तीष्टेद प्रसुतात्ममा त्रयम्  
 वैश्या प्रसूता चत्वारिष्टेवर्षे न्वितरा वसेत्  
 नशूद्रायाः स्मृतः कालेषु प्रोषित घोषिताम्

के जिनका अर्थ यह है के अगर ब्राह्मणोंका पती कहीं चला जावे और उसके पता न लगे तो वह आठ बरसतक बाट देव. और अगर उसके ओलाद न हुई होतो चार बरसतक पाँछे दूसरा पती करले. क्षत्रीयकी स्त्री ६ छे बरस तक बँठी रह. और बिना ओलादवाली होतो दस बरसतक. और वैश्य लोगोंको स्त्री प्रसूत हो चुकी होतो चार बरसतक और बिना ओलादवाली होतो दो बरसतक बाट देव. शूद्रोंकी स्त्रीके लिये कोई कालकी मर्यादा नहीं है.

आगमनों कृषीने यह कहा है के.

“ भर्त्रभावे वयः स्त्रीणां पुनः परिणयो मतः ”

अर्थ पतीके जाने गइनेपर जवान स्त्रियोंका दूसरे दफे विवाह उचितहै.

वसिष्ठ स्मृतिमें लिखा हैके

याच क्लृप्तं पतितमुन्मत्तं वा पतिं मुन्मज्ज्य  
 अन्यं पतिं चिन्दते मृते वासा पुनर्भू भवति ॥

“ जो स्त्री नामर्द या पतित या पागल,पतीको छोड़कर या पतीके मरने पर अन्य पतीको हासिल करती है, तो उसको पुनर्भू कहते हैं.

अत्रीस्मृतिने अरुनीस्मृती मे यह लीखाहै के

**नष्टे मन्याममापन्ने व्याधिग्रस्तञ्च भर्तारि  
पुनः स्त्रीणां विवाहः स्यात्कलावपि न संशयः**

जब पती मरजाय या मन्यामले या अस्वाध रोगमे फसजाय तो कलियुगमे भी नीः संशय स्त्रीका दुसरा विवाह होना उच्यते है.

ब्रह्मपुराण मे लिखा है के.

**यदि सा बालविधवा बलास्यक्ताथवा क्वचित्  
तदाभृत्यस्तु संस्कार्या ग्राहत्वा येन केन चित्**

जो स्त्री बाल विधवा हो या जबरदस्ती छोड दी गई हो. तो उसका दुसरा विवाह कर देना चाहिये. और कोईभी उसको अंगीकार करले.

महाभारत के भीष्मपर्वमे यह लीखाहै के. अर्जुनको बेटा जिसका नाम इरादान था और नाग राजाकी बेटासे पैदाहुवा के. जिसदिना आलाट वालोबेटाको उसके पतीके सुपणमे मार जानेपर इरावत राजाने अर्जुनको वीयाथा:

कुल स्मृतीयां एकही समयपर नहीं बनीहुईहैं. इसलिये उनमे किसी २ जगे आपसमे फरक पायाजाता है और ये राजसीभी ह. क्योंकि जमी २ समयानुसार अवश्यकता होतागई. ऋषी मुनी लोगभी वैसी २ आग्या करतारहें. अब शंका पैदाहुई कि इन ३० स्मृतीयांमे सांप्रकालमे याने कलियुगमे. कौनसी स्मृतीपर चलना चाहिये. इस शंकाके दूर करने के लिये यह आधार प्रसीद्ध है के.

कृतेनुमानवा धर्माश्रितायां गौतमाः स्मृताः  
 डापरं शंखलिखिताः कलौ पाशाशाः स्मृताः

“ अर्थ — सतयुगमें मनुका धर्मशास्त्र, त्रेतायुगमें गौतमका और डापरमें शांख्य लिखितका, और कलौयुगमें पाशाशाका मा. ना कहाहै. ”

और पाशाशाजनि साफ लिख दियाहै ( जिसके ऊपर लिख चुकेहैं ) के पत्रके खोयेजानपर या मग्नेपर, संन्यास लेनेपर, नामदेहोजानेपर या पतित होजानेपर स्त्रीका दुस्सरी शादी होसकी है.

बहोतसे लोग यहभी कल्लि करतैहैं के, आज कल जो गियाज पडुगहा है उसके विरुद्ध काम नहीं करना चाहिये परंतु ये बात शास्त्रमें थिलकुल अचुमत नहीं है. क्योके महाभागमें लेखाहै के.

धर्म्यं जिज्ञासमानानां प्रमाणं च परं श्रुतिः ।  
 द्वितीयं धर्मशास्त्रन्तु तृतीयं लोकसंग्रहः  
 नयत्र साक्षा द्विधयो ननिपथाः श्रुतौस्मृतौ  
 देशाचारकुलाचारैस्तत्रधर्मो निरूप्यते ॥

“ इसका अर्थ यहहै के धर्मके जाननेको इच्छा करने वाले मनुष्या के श्रुती अर्थात् वेदमें बढकर कोई प्रमाण नहीं है. उसमें उतरकर, धर्मशास्त्र अर्थात् स्मृतीयां. और तीसरे दरजपर लोग संग्रह अर्थात् दुनया जिसबात को पसंद करे. जहापरके साक्षात् वेदमें या स्मृतीमें किसी कामका करना या न करना न लिखाहोता उनके

लिये देशाचार और कुलाचार कोही धर्ममानना चाहिये अथ ऊपर लिखे हुये वेदोंके प्रमाणसे स्वच्छ प्रतीत हो चुकाहै के विधवा विवाह युक्तहै उसलिये जोकिस्मी स्मृती या किस्मी पुराण में विधवा विवाह को अयुक्त लिखाहो या कीस्मी शब्दसे इसके धर्म विरुद्ध होनेकी शका आताहो तो उसको बिलकुल मानना नहीं चाहिये क्योंकि वेदके सामने स्मृती और स्मृती के सामने पुराण बराबरी नहीं करसकती है.

(३) सांप्रत कालके ऋषी और मुनी अर्थात् विद्वान और बुद्धीवान लोग क्याकहते हैं. " इस बात पर ईर्ष्य विचार कियाजाये तो मालूम होताहैके बहुमत विधवा विवाह के विरुद्ध नहीं है. जो विद्वान और बुद्धीवान विधवा विवाहके साहायक है. उनमें से थोड़े स नाम नीचे लिखे जाते हैं

पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर	कलकत्ता
विष्णुशास्त्री पंडित	बंबई
विष्णुशेवा ब्रह्मचारी	महाराष्ट्र
सर टी माधवराव साहब के सी एस. आइ.	
के जो बडोदे की सियामन के दिवान थे	
और हिंदुस्थान में अपनेवक्तमें अव्वल दर्जे	
के लायक और बुद्धीवान समझे जातथे ।	
दिवान बहादुर और रघुनाथ राव	मद्रास
स्वामी दयानंद सरस्वतीजी	आर्यसमाज
वानु केशव चंद्रसेन	ब्रह्मभमाज
दाय देवेन्द्रनाथ	बंगाल

बाबू प्रताप चंद्र बगाल  
गुरुनानक और गुरु गोविंदनेभी ( जो स्मिथोंके  
गुरु थे ) विधवा विवाह का बुरानहीं कहा.

मि० जस्टिस माहादेव गोविंद रानडे जज्ज  
हाई कोर्ट बंबई

मि० जस्टिस चांदवडकर जज्ज हाई कोर्ट  
बंबई

आनरेबल दाजी आचार्य खरे बी. ए. एल. एल.  
बी. बंबई

पंडित नागयण केशव वैद्य बंबई

राव बहादुर डाक्टर भंडारकर बंबई

मि० दामोधर दिनायक कीर्तने वरिष्ठ  
एट-ला ( जज्ज सदर् कोर्ट इंदौर )

आनरेबल मि. जस्टिस अणुनाथ मुकुंजी.  
( जज्ज हाई कोर्ट, कलकत्ता (के जिन्होंने  
अपनी विधवा कन्या का पुनर्विवाह ता०  
२४२-०८ के दान अपना जात के एक  
ब्राह्मण से किया )

इसके सीवाय बहोतसे एम. ए बी.ए. और मन्कृत भाषामें  
विद्वान इसवक्त इस विषयकी साहाय करने वाले  
मौजूदहैं इन लोगोंको ये कहने की किसीकी शक्ति  
नहीं है के यह सब मुखेहै. या हिंदूधर्म शास्त्र को  
पहेचानने में असमर्थहैं. अगर कोई साहस करके ऐसा  
कहभी दे. के ये लोग धर्मके तत्वको नहीं जानते तो वो  
केवल अपनी पंडितारीकी सीमा दीखाता हैं.

( ४ ) " और यह के हमारे मजहब के लोग बहुधा से क्या मानते हैं " इन बातपर चांगे तरफ टिप्पणी फैलाई जायतो मान्य पड़ेगा क ईसाई, मुसलमान, यहूदी, शर इन मतों के अन्तर में पालने वाले सब विश्ववा विवाह को अच्छा मानते हैं और उनका यस्ताव भी स्वतः पृथ्वीपर जो मनुष्य संख्या आजके दिन है उसमें विश्ववा विवाह को मना करने वाल बहुतही थोड़े लोग निकलेंगे और वोभी हिन्दुओंमें और वो बहुत कम के ऐसे होंगे जो पंडितोंसे नहीं या जिनको विद्याको उच्च दशा प्राप्त नहीं है।

इन चांगे बातों की समा लोचना से यह सिद्ध हवाक विश्ववा विवाह में विश्वम और दक्षिणन्ती की तरफ से कोई बरत नही है उनका राजा और न जवान विश्ववाओंका विवाह किया जाय के जिसमें गर्भगान और कई तरह के अपराधों का रस्ता बढता के विश्ववा जब कुकर्म में पकड़ा जाता है या उनसे अपना दोष छुपाया जानगी सका तो उनसे जबदस्ती दूसर धर्ममें भेजे जाने का प्रचग आता है वाजः आतों को अपना जान माने का बरत आता है वाजियों का वेशमी इस्त्यार करके अरों पीहर और साकर जाला की इज्जत और आदर रीत की मोका आताह इन सब बातों के गुनगार वही लोग समझते चाहय कि जो विश्ववा ओं का विवाह कराना जाइस्ती रोकत न और भेडय चालों का अकल के नही तसे जिसके पालन समझतइ से जे लोग यह क्या कह के ह कि जय किने लडकी का पितः भरना लडके के एक दफे विश्वम दखुका तो उसके पति क मने क पीछे हमरे पुरुष का अथवा दूसरे पति को इन चांगे कोर बाको नहीं रहा यह छ्याल बिलकुल गलत

है और शास्त्र और अकल के बाहर है दूसरे विवाह में क्या बलिक प्रथम विवाह के समय पर ही यौवन अवस्था में पहुँच कर बिना किसी क दिये स्त्री और पुरुष का विवाह हो सकता है देखिये मनुस्मृति के अध्याय ३ श्लोक २२ और उसके आगे वहाँ पर आठ प्रकारके विवाह लिखे हैं कि जिनके नाम ब्रह्म विवाह, देव विवाह, ऋषि विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गरुड विवाह, राक्षस विवाह, और पिशाच विवाह, हे इस में से गंधर्व विवाह की व्याख्या इस तरह है.

**“वरबध्वो रिच्छया अन्यान्य संयोग गंधर्वः”**

इसका अर्थ यह है कि वर और वधु अर्थात् दुल्हा और दुल्हन दोनों की इच्छा से जो आपस में मिलते हैं उस का गंधर्व विवाह कहते हैं इस कारण से बड़ी उमर के पीछे माता पिता इत्यादिकों की अनुमति की अपेक्षा नहीं और न उन के कयादान की अपेक्षा है क्योंकि जब एक स्त्री विज्ञान अर्थात् पढ़ाई का अभाव पाने पर न काल तः मानसिक दान होबुता वरिहा से कया दान कोई करे या न करे पढ़ाई प्राचीन काठम बहुत से हुवा करते थे और स्वयंवर के नाम से मन्दिह होते थे ‘स्वयंवर’ यह ऐसा शब्द है कि जिनको अंगरेज लोग भी सुना होगा और उस शब्दमें “स्वयं” और “वर” ये दो शब्द मिले हैं स्वयं के मायने खुद और वर के मायने पति अर्थात् पतिरु खुद याने स्वतः पसंद करने की विधी का स्वयंवर कहते हैं और यही तरीका यूरोप के तमाम देशों में जहाँ पर अंग्रेज, जर्मन, फ्रांस, बड़ी बड़ी अरुठ मद जातिय रहती हैं जागेंहे इस लिये जब प्रथम ही विवाह में जयान दुल्हा और दुल्हन की इच्छा पर विवाह का वितयोग किया गया है तो फिर कोई दोलाल नहीं है कि दूसरे विवाह के समय आने पर माता पितादिक की परवानगी की अटक बाकी रहे

(१५)

कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि क्या औरतें बिना पुरुष के रूढ़ नही सक्त कि जे छोटोप पिराव अरु प्रक हो इस बातका उता इतना ही देना करु है कि प्रकृती के नियमों को रोकना मनुष्य को शक्ति के बाहर है जा किनी का खाना बिठायो जाय और पानी पिठायो जाय और फिर कहा जाय कि शाल्य को मजजाओ तो कई कदाचिन थोड़ी देर नरुगेन हुसर मतठ लेकेन अखिर का इस हुकर की उदृशो अरुत अज्ञाता कात ही पडगा और प्रकृती के नियमक अनुसर चरना ही अरुप्र हागा इसी प्रकार से यह विषय भी है इस में शक नही कि उमर की छुटाई और बडाई के साथ प्रकृती की प्रेरणा भी कर और जियादा हो जाती है इन लिय ऋषि और मुनी लोगोंने कम उमर की विप्रयाओं के लिये और खालका उतरु लिय जिनके बचव पुरान हुवा हो पुनर विशह को आज्ञा दी है वडे अफतास की बातइ कि सन १९०१ ई० को मनुष्य गणना में ५ वर्ष की उमर के अदर जो हिन्दुस्थान में १९४८७ विधवा पाई गई उनमें १५६९६ हिन्दू मत की विधवा थीं और ५ वर्ष से १० वर्ष उमर के अदर को ९५७९८ कुल विधवा आं में से ७८४०७ हिंदू विधवा निकली और १० वर्ष से १५ वर्ष तक की २७०८६२ विधवा आं में २२७३६७ हिंदू विधवा पाई गई आर १५ वर्ष से २० वर्ष तक की ५२२८६७ में से ४११०९३ चागलाख ग्यागः हजार जानबे हिंदू बना गिनी गई और कुल हिन्दुस्थान भर की २९८९-१९३६ विधवा आं में १९७३८४६८ एक क्रॉड सतानवे ग्राव अडतीस हजार चार से अडसठ हिंदू धर्म की बेवा निकली और कुल स्त्रियों को जो संख्या हिन्दुस्थान भर में १४२९५६४७ थी उसका ख्याल किया जावे तो प्रत्येक ५ स्त्रीयोंमें एक विधवा होने का हिसाब लग जाता है अर्थात् हर १०० स्त्रियों में २० विधवा ये कितने वडे अफतास की

बात है और जो लोग कि पैसे दशापर भी विधवा के विवाह को एक बुरा काम समझते हैं या पुनर्विवाह करने वाले का विरादगी से खारिज करने का ख्याल अपने मन में लाते हैं उन की अकल पर शायदा कहना चाहिये पुनर्विवाह का एक अंग यह कारण है कि मनुजोंने और सब बुद्धिमानों ने यह फरमाया है कि स्त्री की जात नाजुक है और इसको स्वतंत्रता कभीनही चाहिये.

**पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने  
रक्षति स्थावरे पुत्रा न स्त्री भवान्त्र्य मर्हति**

इस के मायने यह है कि बाल आस्था में पिता रक्षण करे, और जवान अवस्था में पति रक्षा करे और बुढ़ापेमें बेटा रक्षण करे स्त्री किसी काल में भी स्वतंत्रता अर्थात् खुद मुख्य लोगों के लायक नहीं है. इस से यह साफ मालूम हुआ कि हमारे पुरुषों के कौमारे अच्छे खियाल थे और वो इस प्रयत्न को ऊंच नाँव को किसी अच्छी तरह जानतेथे, और स्त्री का स्वभाव कसा भोला होता है और वो चालाक आर्गुमय क बहकाने में प्रायः कल्पों जल्दी आजाती है य .व वोने उनका कै ती पक्की मालूमथी. जो सांप्रत काल को रोनाह अगुमार ( और सांप्रत कालमें यह एक ही क्या परिस्थितिः शास्त्र विरुद्ध कुरंत फैल रही है. ) बाल विधवा का पुनर्विवाह न काने दिया जाय तो न पति रहा जो जयतीं म उनको रोह और न उसके बेटे ही होंगे कि जिनका उसका लिहाज रहे.

जो लोग क स्त्री के पुनर्विवाह के विरुद्ध हैं वो प्रायः धर्म शास्त्र को उन आलाओं को पेश किया करते हैं कि जहां अन्य पुरुष की तरफ दिल लगा । चलिक् अन्य पुरुष

का दिल में ध्यानभी करना मना लिखा है यह आज्ञा सब ठाक है और बहुत अच्छी है लेकिन इन आज्ञाओं के पालन करने का समय मात्र निराला है जब के किर्सी स्त्री का पति जीवन्त हो तो उसको अन्य पुरुष का ध्यानभी करना बेशक पाप है परन्तु छोटी उमर में पति के मरनेपर वो आज्ञा कायम नहीं रहती उस समय के लिये दूसरी आज्ञा लिखी है इसी तरह से सभी बातों में सर्व साधारण आज्ञा एक हुआ करती है और विशेष आज्ञा दूसरी हुआ करती है जैसे देवय्ये कि वेद में लिखा है.

“ मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि ”

किर्सी प्राणी की हिंसा मतकरो अर्थात् किर्सी ज्ञानदार चीज को मत मारो परन्तु वेदमें यहभी लिखा हैके

“ अश्व मधेन यजन्त ”

“ अश्व मधसं यज्ञ करो ” अर्थात् घोड़े को मारके यज्ञ करो और इस यज्ञ के फायदे बहुत कुछ लिखे हैं और यहां तक लिखा है कि कोई १०८ अश्व मध करले तो वो राजा इद्र हो जाता है और इसी वास्ते राजा इद्र का एक नाम शतक्रतु है घोड़े का मांस यज्ञ में डाला जाताथा और म्वाया भी जाता था इसी तरह से वेद में यह भी लिखा है कि

“ अग्नी योर्मायं पशु मालभेत् ”

याने अग्नि और योम नाम के देवता के लिये पशु

लाना चाहिये अर्थात् अग्नि व पौम देवता के वास्ते जो यज्ञ किया जाता है उसमें पशु याने ढोर मारा जाता है अब इन विशेष आज्ञाओं से जो साधारण आज्ञा उपर लिख चुकेहैं कि किसी प्राणी को मत मारो वो रद्द नहीं हुई उल्टा यह जानना चाहिये कि किसी को मत मारो यह आज्ञा सर्व काल में सर्व साधारण हैं और विशेष काल और विशेष समय पर कार्य्य विशेष के लिये यज्ञ करना भा उचित है इसी तरह से जब तक स्त्री का पति जिंदा है उसको अन्य पुरुष से यत्किंचित भी प्रीति संबध नहीं रखना चाहिये परन्तु पराशर स्मृती में लिखे अनुसार.

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पता ।

पञ्चस्वापत्सु नारीणां पति रन्थो विधीयन्ते ॥

“जब पति खोया जाय या मरजाय या सन्यासी होजाय या नामर्द पाया जाय या पतित हो जाय तो इन पांच आफतों में स्त्री का दूसरा पति करने की परवानगा है” और इसी तरह से अगस्त्य मुनीने भी कहा है —के

भर्तृऽभावे वधः स्त्रीणां पुनः परिणयो मतः  
न तत्रपापन्नारीणां अन्यथा तद् गतिर्नहि ॥

पति के न रहने पर जवान औरतों का दूसरा विवाह करना योग्य है इस में स्त्रियों का कोई दोष नहीं लगता दूसरी तरह से उन की गति नहीं है इसमें जियादा साफ और क्या उपदेश हो सक्ता है सबसे बड़े रजकी बात तो यह है कि लोगवाग यह कहते हैं कि हम अपने

पुरखों के तर्कों पर चलते हैं लेकिन वास्तविक करते हैं उसके बिलकुल विरुद्ध यहां पर यह कहना भी अवश्य है के वाजे लोग श्रीपराशरजी महाराज की स्मृति के

नष्टे मृतं प्रव्रजिते क्लीबेच पतिते पतौ  
पञ्च स्वापत्सु नारीणां पति रन्यो विधीयते

इस श्लोक में यह दोष निकालते हैं कि व्याकरण में "पतौ" नहीं होसकता है "पत्यौ" चाहिये. ये कहना तो उनका दुरुस्त है लेकिन कविता में व्याकरण की पूरी तामील हर जगह नहीं हवा करती और इसी वास्ते ऐसे प्रयोगों को आर्थ कहते हैं तथापि जैन मत की पुस्तकों में श्रीपराशर स्मृति का ये श्लोक इस तौरसे लिखा है के.

"पत्यौ प्रव्रजिते क्लीबे प्रनष्टे पतिते मृतं  
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पति रन्यो विधीयते "

इस में कोई व्याकरण की उपमर्दता नहीं है और पराशर माधवी के ४७.१ प्रष्ट पर लिखा है कि.

नष्टे मृतं प्रव्रजिते क्लीबेच पतिते तथा  
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पति रन्यो विधीयते

ये प्रयोग भी व्याकरण गीतान्ने बिलकुल शुद्ध है इस वास्ते एक जगह जो एक प्रकार का शब्द आया हो और उसके प्रमाणांतर दूसरी जगह में म.जूद हो तो

शंका को आमपद नहीं है. इस लिये नष्ट मृत्ये ये श्रोक जो पराशर स्मृती में आयाहें उसमें अश्रद्धा नहीं करनी चाहिये.

कई लोगों को ये शंका आतीहै के अगर विधवा विवाह पहल शास्त्रों में जागीथा तो अबद्यों बंद होगया और इसका चलन छोटी जातियों में तो है परन्तु बडी जातियों में नहीं है इसका उत्तर यह है कि पहले जमाने में अर्थात् द्वापर युग के अंत तक तो ये बात जागीथा जैसा कि इस पुस्तक के ९ वें पान में इराचन की उतपत्ती के व्रतांत से स्पष्ट है. और इसी के साथ उस जमाने तक पतितके मरे उप्रान्त देवर के पास जाकर उस से बेटा पैदा कराना भी शास्त्र विहित था. श्रीमहा-भारत के आदि पर्व के १.०९ अध्याय में श्लोक ३७ व ३८ में व्यासजी महाराज से प्रार्थना की गई है कि दिचित्र वीर्य राजा के मरण से उनका वंश बंद होगया इस लिये उनका जो दो विधवा गतियों रहगई उन गतियोंके पुत्र पैदा कराद वह श्लोक यह है:

आनृशं स्याच्चयद्दृयांतं च्छुत्वा कर्तुं मर्हसि ।  
 यवी यम स्तव भ्रानु भार्ये सुर सुतोपमे ॥  
 रूप यौवन संपन्न पुत्र कामेच धर्मतः ।  
 तयो रूपादया पत्यं समर्थो ह्यसि पुत्रक ॥

और इस के बाद व्यासजी महाराजने भी यह मनजुग किया और एक गर्नीसे पंडु राजा पैदा हुवे और दूसरी गर्नी से राजा धृतराष्ट्र और ये पंडु राजा वही थे कि जिनके 'महा प्राकसी बटे पांडव के नामसे आज तक मशहूर

श्रीमहा-भारत इतिहास के कर्ता व्यासजी महाराज स्वतः हे इस लिये जब उन्होंने अपने विषय में ये बात खुद लिखी है तो शंका करने की कोई जगह नहीं है इस से सिद्ध हुआ कि जब कलि युग में पहले विधवा स्त्रियों इस तरह से बच्चे पैदा कर सकती थीं तो उनको विवाह की बर्हंतसी अवश्यता भी न होती होगी. कलियुग शुरू हुए पीछे कई सौ बल्कि दो नान हजार वर्ष का समय ऐसा बितान हुआ कि जिस का इतिहास भगवत् लायक कहीं नहीं मिलता बुद्धावतार के पीछे में अबतक बनी हुई कई पुरतके अंग्रेजों, मुसलमानों, और हिंदुओं की पेसी है कि जिससे देशाचार का पता चलसक्ता है लेकिन कृष्णावतार और बुद्धावतार के दरमियान का जो जमाना है उस में श्रीमद् भागवत के पीछे और कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं मालूम होता इस लिये अन्तगय में जो जो वेद और स्मृतियों के अनुसार द्वापः के अंत तक प्रचार जागीये वो कैसे २ टुटे या बदल गये ये बयान करना अशक्य है इस ग्रंथ के पढ़ने वाले महाशयों को समझ लेना चाहिये के जैसे सांप्रत कालके बर्हंत में रिवाज बदल ते जातेहै या नये पैदा होते जातेहै वैसेही पहले वक्त में भी होनाहै चाहिये इस लिये विधवा विवाह पहले जागी था और अब क्यों बंद होगया यह शंका व्यर्थ है. इस संसार में हरएक वस्तुको सदा स्थिति नहीं है. अब रही ये बात के इसका चलन छोटी जानियों में तो है और बडी में नी ये दुपण नहीं है बल्कि भूषण है क्योंकि जितनी प्राचिन नातेहै वो छोटी जाती वाले और गांव गाट के रहने वाले बडी मुशकिल से छोडते हैं और जो अपने तथी उत्तम जाती समझ ते है या बडे २ नगरो में रहने हैं वोही अपनी पुरानी चालों को शीघ्रही छोड दिया करते हैं कई लोगोंको यह मालूम नहीं है कि सरकार अंग्रेजी के कानून ने विधवा विवाह को माना है

इस लिये यह भी लिखा जाता है कि गवर्नमेंट ने सन १८५६ में अक्ट १५ जारी किया और उसमें विधवा विवाह को न्याय युक्त ठहराया और वो अक्ट अर्थात् कानून अभी तक जारी है विधवा विवाह से जो नवान पदा होती है उसका हक माल असबाब पर प्रथम स्त्री को पतान के हक के बराबर है.

इन उपर लिखी हुई सब बातों के विचार करने से यह निश्चित होताहै कि जमा अमस्ति कृत्याले फरमाया है.

“भर्तृऽभावे वयः स्त्रीणां पुनः परिणयोऽनलः”

कि पति के अभाव में अर्थात् न होने - जवान स्त्रियोंका दूसरी दफे विवाह उचित है इस बचन पर चलना चाहिए अवगहा यह के स्त्री को जवान कहाना; समझना ये बात हर एक जातिके लोग ठहरा सकते हैं परन्तु साधारण तौरसे २५ वर्ष की उमर तक स्त्रीका जवान कहाजा सकता है इस लिये जबतक जवानों की अवस्था बाकी है तबतक विधवा का दूसरी शर्दी कान से जय दस्ती मना नहीं करना चाहिये अगर वो अपनी खुशी से पुनर्विवाह की इच्छा न करे और उसके चित्त में विरक्तता उत्पन्न हो जाय हो वहाँत अच्छी बात है फिर विवाह का काम नहीं रहा क्योंकि मनुजी ने लिखा है कि.

मृते भर्त्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिताः  
स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथते ब्रह्मचारिणः

अर्थ—पति के मरने पर जो नेक चलन औरत ब्रह्म चर्य को धारण करती है वो वे औलाद हां तो भी स्वर्ग को

जाती है जैसे के ब्रह्मचारी पुरुष ( अर्थात् वो लोग कि जा हमेशा ब्रह्मचारी ही बने रहते है और ब्रह्मस्थ आश्रम को अंगीकार नहीं करते है ) .

नातथ्य यही हुआ कि अपने पतिके मरने के बाद हरएक जवान स्त्री चाहे तो ब्रह्मचर्य में रह सकती है और चाहे तो पुनर्विवाह कर सकती है .

इन सब बातों से स्पष्ट है कि विधवा विवाह शास्त्र से अनुमत और विद्वानों के सम्मत है और इस को मने करने में एक तरह का पाप है इस लिये आशा की जाती है कि जा सज्जन इस पुस्तक को देखेंगे वो इस विषय पर पूर्ण विचार करेंगे और अनाथ विधवाओं को सहाय में उद्युक्त हो गे .

नोट—यह पुस्तक बिना मूल्य मिंगी जिस सत्पुरुष को मंगानी हो वे राय बहादुर नानकचंद सी०आय०ई० इंदौर से मगा लें .



